Government of Rajasthan

Law (A) Department

NOTIFICATION

Jaipur, July 31, 1964

No. F. 3(1)-L/64.- In exercise of the powers conferred by section 8-A of the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments) Act, 1956 (Rajasthan Act 6 of 1957), the State Government hereby makes the following rules regulating free transit of members by road transport service, namely :—

The Rajasthan Legislative Assembly Members (Free Transit by Road Transport Service) Rules, 1964

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Legislative Assembly Members (Free Transit by Road Transport Service) Rules, 1964.

(2) They shall come into force at once.

2. Definitions.- In these rules, unless the context otherwise requires—

(a) "Pass" means the "Identity cum-Road Journey Pass" issued under rule 3;

(b) "Secretary" means the Secretary, Rajasthan Legislative Assembly and includes any Officer of the said Assembly, specially empowered by the Speaker to perform the functions of the Secretary under these rules;

(c) "Service Bus" includes deluxe bus and an airconditioned bus but does not include bus run on contract basis;

राजस्थान सरकार

विधि (क) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, 31 जुलाई, 1964

संख्या एफ. 3(1) एल./64.- राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ) अधिनियम, 1956 (राजस्थान अधिनियम 6, सन् 1957) की धारा 8-क के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा सदस्यों के सड़क परिवहन सेवा द्वारा नि:शुल्क पारनयन का विनियमन करने हेतु, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

राजस्थान विधान सभा सदस्य (सड़क परिवहन सेवा द्वारा नि:शुल्क पारनयन) नियम, 1964

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) ये नियम राजस्थान विधान सभा सदस्य (सड़क परिवहन सेवा द्वारा नि:शुल्क पारनयन) नियम, 1964 कहलायेंगे।

(2) ये तुरन्त प्रभावशील होंगे।

2. परिभाषाएं.- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित नहीं हो;

(क) ''पास'' से तात्पर्य नियम 3 के अन्तर्गत जारी किये गये ''पहचान एवं सड़क यात्रा पास'' से है;

(ख) ''सचिव'' से तात्पर्य सचिव, राजस्थान विधान सभा से है और इसमें उक्त विधान सभा का कोई भी अधिकारी जिसे इन नियमों के अन्तर्गत सचिव के कर्तव्यों का पालन करने हेतु अध्यक्ष द्वारा विशेष रूप से सशक्त किया गया हो, सम्मिलित है;

(ग) ''सर्विस बस'' में डीलक्स बस और वातानुकूलित बस सम्मिलित है, किन्तु संविदा के आधार पर चालित बस सम्मिलित नहीं है;

(d) "State Road Transport Corporation" means the Rajasthan State Road Transport Corporation established under section 3 of the Road Transport Corporations Act, 1950 (Central Act 64 of 1950).

3. Members entitled to travel on passes.- Subject to the provisions of these rules, every member shall be provided by the Secretary with a pass, in the form given in Appendix 'A' which shall entitle him and any other person accompanying the member to travel free of charge by the service buses of the State Road Transport Corporation at any time and on any route on which the State Road Transport Corporation operate.

4. Supply of books of bus journey forms.- Every member shall be supplied by the Secretary with two books, each containing 50 serially numbered Members' Bus Journey Forms, with three foils. The forms shall be as given in Appendix 'B'. Until one book is exhausted the member shall not use the second book. When all the forms in the book are used, the member shall return the book to the Secretary, who shall on request issue a new book to such member.

5. Procedure for journey.- (1) On the commencement of a journey, the member shall fill in the form and the foils thereof and hand over the form to the Conductor of the bus. The Conductor shall thereon fill in the amount of fare chargeable for the journey on the foil with the member. A separate form shall be used for each separate journey and in case of change of buses, separate form shall be used for each journey by different buses.

(2) A member shall, on demand by the Conductor or any other officer of the State Road Transport Corporation, duly authorised in that behalf, produce the Pass for inspection.

(घ) ''स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन'' से तात्पर्य रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन एक्ट, 1950 (सेन्ट्रल एक्ट 64, सन् 1950) की धारा 3 के अधीन स्थापित राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन से है।

3. सदस्यों का पास से यात्रा करने का हकदार होना.- इन नियमों के अधीन रहते हुए प्रत्येक सदस्य के लिए सचिव द्वारा एक पास परिशिष्ट 'क' में दिये हुए फार्म में दिये जाने की व्यवस्था की जायेगी, जिससे वह और उसके साथ जाने वाला कोई अन्य व्यक्ति स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन की सर्विस बसों के जरिये, किसी भी समय तथा किसी भी मार्ग पर, जिस पर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन की बसें चलती हों, नि:शुल्क यात्रा करने का हकदार होगा।

4. बस यात्रा प्रपत्रों की पुस्तकों का दिया जाना.- प्रत्येक सदस्य को सचिव द्वारा दो पुस्तकें दी जायेंगी जिनमें से प्रत्येक में 50, त्रिपति ''सदस्य बस यात्रा फार्म'' होंगे जिन पर क्रम संख्या अंकित होगी। फार्म परिशिष्ट 'ख' में दिये हुए फार्म के अनुसार होंगे। जब तक एक पुस्तक समाप्त नहीं हो जाये, सदस्य दूसरी पुस्तक का प्रयोग नहीं करेंगे। पुस्तक के सभी फार्मों का उपयोग कर लिये जाने के पश्चात् सदस्य, पुस्तक को सचिव को लौटा देंगे और सचिव, निवेदन किये जाने पर उक्त सदस्य के नाम एक नई पुस्तक जारी करेंगे।

5. यात्रा की प्रक्रिया.- (1) यात्रा के प्रारम्भ में, सदस्य फार्म तथा उसकी पड़तों को भरेगा और बस के कण्डक्टर को फार्म दे देगा तत्पश्चात् कण्डक्टर यात्रा के लिये वसूली योग्य किराये की राशि सदस्य के पास रहने वाली पड़त में भरेगा। प्रत्येक पृथक् यात्रा के लिये पृथक् फार्म का प्रयोग किया जायेगा और बस बदलने की दशा में, भिन्न-भिन्न बसों से की जाने वाली प्रत्येक यात्रा के लिए पृथक् फार्म का प्रयोग किया जायेगा।

(2) सदस्य, जबकि कण्डक्टर या स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन का कोई अन्य अधिकारी, जो इस सम्बन्ध में यथोचित रूप से प्राधिकृत हो, मांगे तब अपना पास निरीक्षण के लिये प्रस्तुत करेगा।

(3) A member and any other person accompanying the member may travel in any class, wherever there is more than one class of accommodation in service buses.

(4) A member and any other person accompanying the member wishing to reserve his seat may do so on payment of the charges for reservation.

6. Permissible luggage.- A member and any other person accompanying the member shall be entitled to carry such luggage free of charge as is permissible to a passenger for the class in which the member and such other person travel and the member and such other person shall have to pay for the respective excess luggage, if any, on the rates fixed in that behalf by the State Road Transport Corporation.

7. Period of the validity of the pass.- The pass granted under these rules shall be valid only during the period the holder continues to be a member of the Rajasthan Legislative Assembly and the holder shall return the Pass to the Secretary, as soon as he ceases to be a member of the Assembly.

8. Report of lost of Pass etc.- When a member loses his pass/Free Journey form Book, he shall immediately report the fact of such loss to the Secretary and the General Manager, Rajasthan State Road Transport Corporation. On receipt of such report, a fresh Pass/Free Journey Form Book, as the case may be, may be issued by the Secretary to member on his payment of Re. 1/- in the case of the pass and Rs. 2/- in the case of each Free Journey Form Book. If the Pass/Free Journey Form Book is subsequently found, it shall be surrendered to the Secretary.

(3) सदस्य और उसके साथ जाने वाला कोई अन्य व्यक्ति जब कि सर्विस बसों में एक से अधिक दर्जे हों, किसी भी दर्जे में यात्रा कर सकेगा।

(4) सदस्य और उसके साथ जाने वाला कोई अन्य व्यक्ति, जो अपनी सीट आरक्षित कराने का इच्छुक हो, सीट आरक्षण हेतु शुल्क का भुगतान करने पर ऐसा कर सकेगा।

6. अनुमत्त सामान.- कोई सदस्य और उसके साथ जाने वाला कोई अन्य व्यक्ति अपने साथ उतना सामान नि:शुल्क ले जा सकेगा जितना उस दर्जे के लिये जिसमें वह सदस्य और ऐसा व्यक्ति यात्रा करता है, किसी यात्रा को नि:शुल्क ले जाने की अनुमति है तथा उस सदस्य और अन्य व्यक्ति को अपने-अपने अधिक सामान के लिये, यदि कोई हो, स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन द्वारा इस निमित्त नियत दरों के अनुसार भुगतान करना पड़ेगा।

7. पास की मान्यता की अवधि.- इन नियमों के अन्तर्गत जारी किया गया पास अस अवधि मात्र के दौरान मान्य रहेगा जिसमें उसका धारणकर्ता राजस्थान विधान सभा का सदस्य बना रहता है तथा धारणकर्ता पास को ज्यों ही विधान सभा से उसकी सदस्यता समाप्त हो, सचिव को लौटा देगा।

8. पास आदि के खोने की रिपोर्ट.- जब किसी सदस्य का पास/नि:शुल्क यात्रा फार्म पुस्तक खो जाये तो वह इस तथ्य की रिपोर्ट तुरन्त सचिव एवं स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन के जनरल मैनेजर को करेगा। उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर सचिव पास के लिये एक रुपये प्रति पास तथा नि:शुल्क यात्रा फार्म पुस्तक के लिये दो रुपया प्रति पुस्तक सदस्य द्वारा, भुगतान किये जाने पर, उस सदस्य के नाम नया पास/नयी नि:शुल्क यात्रा फार्म पुस्तक, जैसी भी स्थिति हो, जारी करेगा। यदि तदुपरान्त पास/नि:शुल्क यात्रा फार्म मिल जाये तो वह सचिव को सौंप दिया जायेगा/दी जायेगी।

9. Provision for payment of the amount due on account of the journey.- (1) The Secretary shall arrange to make payment from the budget of Legislative Assembly, the amount due on account of the journey undertaken by the member, as determind on the basis of the Members Bus Journey Forms (Duplicate foils) sent by the State Road Transport Corporation for payment.

(2) Provided that the amount due on account of the journey undertaken by the member in the City Transport Service Buses, excluding specific bus deployed for use by the Members of Legislative Assembly, shall not be charged by the Corporation from the Rajasthan Legislative Assembly but it shall be waived by the Corporation itself.

[No. F.3(1) Law 1/64]
By Order of the Governor
Laher Singh Mehta,
Secretary to the Government.

9. यात्रा के देय राशि के भुगतान के लिये प्रावधान.- सदस्य द्वारा की गई यात्रा के लिये देय राशि जिसका निर्धारण स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन द्वारा भुगतान हेतु भेजे गये सदस्य बस यात्रा फार्म (द्वितीय पड़तों) के आधार पर किया जायेगा, का भुगतान विधान सभा के बजट में से किये जाने की व्यवस्था सचिव द्वारा की जायेगी।

(2) परन्तु सदस्य द्वारा नगर परिवहन सेवा की, विधान सभा सदस्यों के उपयोग के लिये अभिनियोजित विनिर्दिष्ट बस से भिन्न बसों में की गई यात्रा के लिए देय राशि निगम द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रभारित नहीं की जायेगी अपितु निगम स्वयं ही उसे अधित्यक्त कर देगा।

[संख्या एफ.3(1) एल./64]
राज्यपाल की आज्ञा से,
लहरसिंह मेहता,
शासन सचिव।

Serial No..............

APPENDIX 'A'

(See Rule 3)

IDENTITY-CUM-ROAD JOURNEY PASS

State Road Transport Corporation

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY MEMBER'S

Identity-cum-Road Journey Pass.

Not Transferable

Name...

M.L.A.

(Division No.............................)

Address :

Available for free travel on

State Road Transport Corporation Service Buses

Photograph

Date................ Secretary

Rajasthan Legislative Assembly

....

Member's signature

(Division No..........)

---

1. The member to whom this pass is issued is responsible for its safe custody.
2. In case of loss, the matter shall immediately be reported to the Secretary, Rajasthan Legislative Assembly and the General Manager, State Road Transport Corporation.
3. This Pass shall be surrendered in the event of termination of membership of the Rajasthan Legislative Assembly.

क्रम संख्या………………

परिशिष्ट 'क'

(नियम 3 देखिये)

(पहचान एवं सड़क यात्रा पास)

स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन

राजस्थान विधान सभा के सदस्य पहचान एवं सड़क यात्रा पास

नाम…………………………………… अहस्तान्तरणीय

वि.स.स.

(डिवीजन संख्या…………………………)

फोटोग्राफ

पता…………………………………….. सचिव

……………………………………… राजस्थान विधान सभा

स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन की सर्विस बसों में नि:शुल्क यात्रा के लिये है।

दिनांक……………………… सदस्य के हस्ताक्षर

(डिवीजन संख्या……………)

---

1. जिस सदस्य के नाम यह पास जारी किया गया है वह इसकी सुरक्षा के लिये उत्तरदायी है।
2. यदि यह पास खो जाये तो उसकी रिपोर्ट तुरन्त सचिव, राजस्थान विधान सभा तथा जनरल मैनेजर, स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन को की जायेगी।
3. राजस्थान विधान सभा की सदस्यता समाप्त हो जाने पर यह पास समर्पित (Surrender) कर दिया जायेगा।

4. A journey form containing details of journey performed under this pass shall be filled in and handed over to the Bus Conductor before a journey begins.

5. This Pass is issued subject to the provisions of section 8A of the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments) Act, 1956 and rules made under section 8A of said Act and can be used subject to availability of accommodation in the bus by which the journey is intended to be undertaken.

6. This pass shall be treated as a ticket for travel, subject to the same rules and conditions as govern a ticket in so far as they are not repugnant to the rules made under section 8A of the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments) Act, 1956.

4. एक यात्रा फार्म जिसमें यात्रा का विवरण हो जो कि इस पास के आधार पर की जाये, भरा जाकर बस कण्डक्टर को यात्रा प्रारम्भ होने से पहले दे दिया जायेगा।

5. यह पास राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ) अधिनियम, 1956 की धारा 8-क के प्रावधानों और उक्त अधिनियम की धारा 8-क के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के प्रावधानों के अधीन रहते हुए जारी किया जाता है तथा इसका प्रयोग उस बस में जिसमें कि यात्रा करने का विचार हो स्थान उपलब्ध होने की शर्त के अधीन किया जा सकता है।

6. यह पास टिकट पर लागू होने वाले नियमों और शर्तों जहां तक कि वे राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ) अधिनियम, 1956 की धारा 8-क के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के असंगत न हो के अधीन रहते हुए यात्रा के सम्बन्ध में एक टिकट ही समझा जायेगा।

Appendix 'B'

(See Rule 4)

(Member's Bus Journey Form)

State Road Transport Corporation

(Member's Bus Journey Form)

Book No………..Serial No……….

(Foil)

(To be filled in and retained by the Member)

Date & the time of the journey……

…………………………………….

No. of Bus…………………………

Type of the Bus

…………………………………….

I am travelling from……………….

to……………. My pass number is

…………………………………….

State Road Transport Corporation

(Member's Bus Journey Form)

Book No………..Serial No……….

(Duplicate)

(To be delivered to the Conductor of the bus)

Date & the time of the journey……

…………………………………….

No. of Bus…………………………

Type of the Bus

…………………………………….

I am travelling from……………….

to……………. My pass number is

…………………………………….

State Road Transport Corporation

(Member's Bus Journey Form)

Book No………..Serial No……

(Triplicate)

(To be delivered to the Conductor of the bus)

Date & the time of the journey..

………………………………….

No. of Bus………………………

Type of the Bus

………………………………….

I am travelling from…………….

to………….. My pass number is

…………………………………….

परिशिष्ट 'ख'

(नियम 4 देखिये)

(सदस्य बस यात्रा फार्म)

स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन

(सदस्य-बस-यात्रा-फार्म)

पुस्तक सं………………..क्रम सं………

(पर्ण)

(सदस्य भरकर अपने पास रखेगा)

यात्रा का समय और तारीख……………

………………………………………..

बस का नम्बर…………………………

बस का प्रकार

………………………………………

मैं…………...से……………...तक यात्रा

कर रहा हूं।

मेरे पास की संख्या…………………..है।

स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन

(सदस्य-बस-यात्रा-फार्म)

पुस्तक सं………………..क्रम सं………

(द्वितीय पर्ण)

(बस के कण्डक्टर को दी जावेगी)

यात्रा का समय और तारीख……………

………………………………………..

बस का नम्बर…………………………

बस का प्रकार

………………………………………

मैं…………...से……………...तक यात्रा

कर रहा हूं।

मेरे पास की संख्या…………………..है।

स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन

(सदस्य-बस-यात्रा-फार्म)

पुस्तक सं………………..क्रम सं………

(तृतीय पर्ण)

(बस के कण्डक्टर को दी जावेगी)

यात्रा का समय और तारीख……………

………………………………………..

बस का नम्बर…………………………

बस का प्रकार

………………………………………

मैं…………...से……………...तक यात्रा

कर रहा हूं।

मेरे पास की संख्या…………………..है।

Member

Rajasthan Legislative Assembly
Date............(Division No........)
(To be filled in by the Conductor)
Date ....

From...................To.............
Stages...............Fare............
Bus No..........................
Date..............................
Conductor's Badge No. and

Signature.............................

Member

Rajasthan Legislative Assembly
Date............(Division No........)
(To be filled in by the Conductor)
This Form was availed of for travel by :—

From...................To................
Stages...............Fare............
Bus No..........................
Date..............................
Conductor's Badge No. and

Signature.............................

Member

Rajasthan Legislative Assembly
Date........(Division No........)
(To be filled in by the Conductor)
This Form was availed of for travel by :—

From...................To.........
Stages...............Fare.........
Bus No..........................
Date..............................
Conductor's Badge No. and

Signature..........................

सदस्य

राजस्थान विधान सभा
दिनांक…………..डिवीजन संख्या……..
(कण्डक्टर द्वारा पूर्ति की जायेगी)
दिनांक ………………………….………

……………………..से…..………तक
स्टेज……………….…किराया…………
बस नम्बर…………………………
दिनांक…………………………….
कण्डक्टर के बैज का नम्बर और

हस्ताक्षर………………………………

सदस्य

राजस्थान विधान सभा
दिनांक…………..डिवीजन संख्या……..
(कण्डक्टर द्वारा पूर्ति की जायेगी)
इस फार्म का यात्रा हेतु……………...ने
उपयोग किया।

……………………..से…..………तक
स्टेज……………….…किराया…………
बस नम्बर…………………………
दिनांक…………………………….
कण्डक्टर के बैज का नम्बर और

हस्ताक्षर………………………………

सदस्य

राजस्थान विधान सभा
दिनांक…………..डिवीजन संख्या……..
(कण्डक्टर द्वारा पूर्ति की जायेगी)
इस फार्म का यात्रा हेतु……………...ने
उपयोग किया।

……………………..से…..………तक
स्टेज……………….…किराया…………
बस नम्बर…………………………
दिनांक…………………………….
कण्डक्टर के बैज का नम्बर और

हस्ताक्षर………………………………